23/11/18 पत्रावली पेश हुई। उ.प्र. पत्र धारा 145 सपठित
धारा 151 CrPC स्थापित किया जाता है जिसमें
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेश पारित
किया गया ~~प्रार्थना~~ दावा वादीगण निम्नलिखित प्रतिवादीगण
स्थापित किया जाता है। जिसमें निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर अधिकारी द्वारा पारित किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से दर्ज होकर
दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. श्रीकृष्ण उपाध्याय पुत्र स्व. पुरूषोत्तम लाल शर्मा उम्र 48 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी डॉ0 सी.के. शर्मा नर्सिंग होम के सामने, गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमति राकेश शर्मा पुत्री स्व0 पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि श्री नन्दलाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी पी.एन. 73 खातीपुरा परिवहन नगर जयपुर
3. सीमा उर्फ कमलेश पुत्री स्व0 श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि दीनदयाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी सुलक्षणा पब्लिक स्कूल के सामने, हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र गेंदालाल उम्र 74 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 6/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री ऐश्वर्य सिंह, एडवाके** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री गोविन्द चतुर्वेदी, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दि जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्च
इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख
तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:30:20 I
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–6 / 25 तारीख रजुः–13.2.25

उनवान

1. श्रीकृष्ण उपाध्याय पुत्र स्व. पुरूषोत्तम लाल शर्मा उम्र 48 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी डॉ0 सी.के. शर्मा नर्सिंग होम के सामने, गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमति राकेश शर्मा पुत्री स्व0 पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि श्री नन्दलाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी पी.एन. 73 खातीपुरा परिवहन नगर जयपुर
3. सीमा उर्फ कमलेश पुत्री स्व0 श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि दीनदयाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी सुलक्षणा पब्लिक स्कूल के सामने, हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र गेंदालाल उम्र 74 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः– 25/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1087 रकबा 5 बिस्वा, 1003 रकबा 5 बिस्वा, 1035 रकबा 04 बिस्वा, 1036 रकबा 01 बिस्वा व खसरा नंबर 1039 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि वांके ग्राम मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जो पूर्व में वादीगण के पूर्वज लौहरे पुत्र सुन्दर ब्राहम्ण के खातेदारी व काश्त की भूमि रही है। लौहरे की मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 25.05.1973 को संपूर्ण खाता उनकी पत्नि [illegible] गया और बाद नामान्तरकरण से कलावती ही संपूर्ण भूमि की खातेदार काश्तकार रही। सत्यप्रति नामान्तकरण सख्या 26 दिनांक 25.05.1973 वादपत्र के साथ पेश है। लौहरे पुत्र सुन्दरलाल बरखेरिया उपाध्याय गौत्र के थे जिनका पारिवारिक सजरा वादपत्र के मद नंबर 3 मे दर्ज है। लौहरे की पत्नि कलावती निःसंतान थी जिसकी मृत्यु मिति जेठ सुदी दौज संवत 2047 को हुई। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:50:20
Reason: SelfAttested

के पिता द्वारा ही लौहरे व कलावती के अंतिम संस्कार व अन्य मृत्युभोज, पिण्डदान इत्यादि संस्कार किये गये। मृत्यु से पूर्व कलावती वादीगण के पिता के साथ ही अपनी वृद्वावस्था के समय करौली में रही और उन्हीं के द्वारा ही कलावती की सेवा सुश्रुषा की गई और वादीगण के पिता की सेवा सुश्रुषा से ही प्रसन्न होकर कलावती द्वारा अपनी 70 वर्ष की उम्र में पूर्ण होश हवास में स्वैच्छापूर्वक दिनांक 30.03.1981 को पंजीकृत दानपत्र तस्दीक कराकर अपनी जायदाद का मालिक काबिज वादगण के पिता को बना दिया। इस प्रकार वादीगण ही एकमात्र मृतक लौहरे व कलावती के उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी रामजीलाल का हम वादीगण के परिवार अथवा लौहरे कलावती से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और ना ही सगौत्र है। मासलपुर में लौहरे व कलावती के नाम की जायदाद व कृषि भूमियों को हडपने की नीयत से रामजीलाल द्वारा लावती के नाम से एक फर्जी वसीयनामा दिनांक कार्तिक बुदी पून्यों सन 1980 से पूर्व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जिसमें कलावती की मृत्यु वर्ष 1985 से पूर्व फर्जी काल्पनिक मृत्यु तिथि दर्शायी गयी। इसके पश्चात प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा उक्त फर्जी वीसयनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर स्वंय की कलावती का उत्तराधिकारी घोषित किये जाने हेतु एक सिविल वाद मिलीभगत करके अपने भाईयों केदार, पूरन व मुरारीलाल के विरूद्व जिला न्यायाधीश करौली के न्यायालय में पेश किया जो बाद अन्तरण अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायाधीश करौली में चला, जिसमें राजीनामा के जरिये दिनांक 10.04.2014 को मुकदमा नंबर 23/2014 के अनुसरण में प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा मृतक कलावती की विवादित अराजीयात को स्वंय के नाम बतौर खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 782 दिनांक 14.03.2015 को करा ली। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2068–2071 वादपत्र के साथ पेश है। मृतक लौहरे व कलावती की उक्त विवादित आराजीयात के इन्द्राज बदले जाने की वादीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व में अन्य खसरा नंबर 1554 लगायत 1556, 1558, 1559 स्थित ग्राम छेंड का पुरा के काश्तकरों से जानकारी मिली कि प्रतिवादी रामजीलाल कलावती के नाम की जमीनों को हडपने की [illegible]। वर्ष 2015 में रामजीलाल द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त फर्जी डिक्री की जानकारी उसके वादपत्र की नकल प्राप्त होने के पश्चात हुई। तत्पश्चात वादीगण के पिता पुरूषोत्तम लाल जी के द्वारा उक्त फर्जी तरीके से मिलीभगत करके व न्यायालय को धोखा देकर प्राप्त की गई डिक्री को निरस्त कराने हेतु एक सिविल वाद जिला न्यायाधीश करौली में पेश किया जो पारिवारिक न्यायालय करौली में अन्तरिक होकर मुकदमा नंबर 07/2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:50:20
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

(04/2016, 01/2016) दिनांक 20.10.22 को स्वीकार किया जाकर पूर्व निर्णय व डिक्री मुकदमा नंबर 23/2014 दिनांक 10.04.2014 उनवानी रामजीलाल बनाम केदार वगै0 फर्जीयत से प्राप्त फैसला होने के कारा खारिज फरमा दिया गया और वसीयतनामा भी फर्जी होना पाया गया तथा वादीगण को ही मृतक कलावती का उत्तराधिकारी घोषित किया गया जिसके आधार खरा नंबर 1556 से 1558 व 1559 स्थित ग्राम छेंड का पुरा की कृषि आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई। वादीगण को पूर्व में विवादित खसरा नंबर की जानकारी नहीं थी। निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 के पश्चात जानकारी हुई तो पारिवारिक न्यायालय द्वारा उक्त नंबरान बाबत पृथक से कार्यवाही करने को वादीगण को स्वतंत्र रखा गया। तत्पश्चात वादीगण को उक्त प्रकरण के विवादित खसरा नंबर की जानकारी नकलें प्राप्त होने पर दिनांक 7.1.2025 को हुई। प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा बदयान्तिपूर्वक फर्जी डिक्री के आधार पर मृतक कलावती की विवादित आराजीयात को स्वंय के नाम करा लिया और जबरन खसरा नंबर 1003 में बने मठ पर उक्त फर्जी इन्द्राजात के आधार पर कब्जा कर स्वंय का निवास बना लिया है तथा जबरन अन्य लोगों को भी अनावश्यक मालिक दर्शाकर काबिज करा रहा है। प्रतिवादी का उद्देश्य वादीगण की आराजीयात को खुर्द-बुर्द कर दीगर व्यक्तियों को बेचान करने का है। दिनांक 15.04.2025 को वादी श्रीकृष्ण द्वारा मासलपुर पहुंचकर रामजीलाल से मठ को खाली करने एवं आराजीयात को तहसील कार्यालय चलकर वादीगण के नाम दुरूस्त कराने की कहा तो वह झगडा करने पर उतारू हो गया और मां-बहिन की फौज गालियां देने लग गया और ऐलानियां कहा कि अब तो जमीनें मेरे नाम है मैं तो इन्हें दीगर लोगों को बेचान करूंगा तुमसे जो हो कर लेना। प्रतिवादी का उक्त कृत्य पूर्णतया न्यायालय के निर्णय की नाफरमानी है। इसी कारण वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण मृतक कलावती की वादपत्र के मद नंबर 1 में दर्ज कृषि आराजीयात के इन्द्राजात स्वंय के नाम बतौर उत्तराधिकारी घोषित होते हुये [illegible] है तथा साथ ही प्रतिवादी रामजीलाल को विवादित आराजीयात व [illegible] मठ से बेदखल कराने के अधिकारी है तथा जरिये [illegible] आशय से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वह फर्जी इन्द्राजात के आधार [illegible] विवादित आराजीयात को किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन-वय अथवा हस्तांतरण ना तो स्वंय करें और ना ही किसी दीगर व्यक्ति को विवादित आराजीयात में रहने या कुछ करने हेतु अनुमति प्रदान करें। विनाय दावा दिनांक 7.1.2025 को विवादित आराजीयात की जमाबंदी की नकलें प्राप्त होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

व दिनांक 15.1.2025 को ऐलानियां प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा धमकी दीगर व्यक्तियों को बेचान बाबत देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नंबरान ग्राम मासलपर में स्थित होना सही है। भूमि कृषि भूमि ना होकर अकृषि कार्य की है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में आ रही है। मद नंबर 1 मे दर्ज भूमि में कभी भी कोई कब्जाकाश्त लौहरे ब्राहमण व उसकी पत्नी का रहा है। बल्कि खसरा नंबर 1000 में मठ, पाटौर, मंदिर, तिवारा, समाधि बनी हुई है। खसरा नंबर 1003 में विधिवत रूप से ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर वर्ष 2000 में पुख्ता 12 दुकाने प्रतिवादी जबाबदार ने स्वंय की लाखों रूपयों में निजि लागत लगा कर निर्माण कराया गया है। यह दुकाने मासलपुर बस स्टैण्ड पर स्थित है। जिसमें मुझ प्रतिवादी को ओर से किरायेदार करोबार कर रहे है। उक्त दुकानों से लगी अन्य दुकानात के उपर दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में प्रार्थी जाबबदार रिहायश 40–50 वर्षों से करता चला आ रहा है और काबिज है। मठ में स्थित हनुमानजी कालीदेवा की सेवा पूजा करता चला आ रहा है। पाटौर पोश मकानियत में मवेशी गाये बंधती है। बस स्टैण्ड व दुकानों के मध्य खाली भूमि में सफीक खान, चीकू तमोली, गबरू खान रूस्तम खान उर्फ कालू सब्जी वाले के खोखा व ठेला लगाने के किराये पर दी गई है। सलीम खान के टायर पिंचर का काम करता है। गबरू खान किराना चना मूंगफली गुड इत्यादि व रूस्तम फूल विक्रय का काम करता है। खसरा नंबर 1003 के वादिशा उत्तर खसरा नंबर 1001–1002 स्थित है। जिसमें रिहायश प्रतिवादी पाटौरपोश बनी हुई है। विवादित भूमि खसरा नंबर 1035–103–1039 तीनों नंबरान में दुकानें दीगर व्यक्तियों की बनी हुई है उक्त तीनों खसरा नंबर से मुझ प्रतिवादी का कोई लेना–देना व सरोकार नहीं है। यह दुकाने तमोलियों की बनी हुई है। जिन्हें पक्षकार बनाये जाने जरूरी है। चलने योग्य नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1087 पर ग्राम रोहर के मीणा लोगों का कब्जा चला आ रहा है। इस नंबर से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है। जिसमें मीनाओं ने 40x30 फीट के प्लांट में मकान निर्माण करा रखा है तथा यह लोग काबिज है। जिन्हें पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। खसरा नंबर 1039 में धर्मशाला व 3 दुकानें बनी हुई है। जिनमें से एक दुकान में प्याउ संचालित हो रही है। जिसमें मुझ प्रतिवादी का कोई ताल्लुक व सरोकार नहीं है तथा

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.04.22 14
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आबादी के मध्य में स्थित है चारों ओर विवादित भूमि के आबादी बनी हुई है। जो अकृषि प्रयोजनार्थ 40–50 सालों से काम में आती चली आ रही है। जिसे राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण गैर मुमकिन आबादी में दर्ज नहीं किया गया है वादी को विवादित भूमि का कोई भौतिक रूप से ज्ञान नहीं होना यह जमीन उसने कभी देखी है राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वगैर दीगर लोगों के कब्जे की जानकारी किये मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध दावा व दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा असत्य कथनों पर संस्थत की है। वादी को यह तक ज्ञान नहीं है कि कौन सा खसरा नंबर किस दिशा में किधर स्थित है उसके चारों और किन कि के मकानात व दुकानात है। दावा वादी भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ विगत 40–50 वर्षों से काम में आने के कारण दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है और इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का विवादित भूमि ना तो मिलकियत व खातेदारी की है ना ही कब्जा की ना उन्हें दावा पेश करने का अधिकार ही है। सजरा कतई गलत अंकित व अपूर्ण सजरा पेश किया गया है। बृजमोहनलाल के पांच पुत्र भंवरलाल, घनश्यामा, राधेश्याम, मुरारी व पिता वादीगण पुरूषोत्तम लाल थे अन्य चार व्यक्तियों को सजरा में नहीं दर्शाया गया है जो आवश्यक फरीक मुकदमा है उन्हें वगैर पक्षकार बनाये दावा वादी चलने योग्य नहीं है। इसी बिना पर दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वादी बरखेरिया उपाध्याय है उसे साक्ष्य द्वारा साबित करना है। दान पत्र दिनांक 30.03.1981 करौली स्थित मकानियत का है जिसमें माकनियत करौली के अलावा अन्य जायदाद का कोई अंकर नहीं है। मासलपुर की जायदाद कृषि व अकृषि भूमि किसी भी भूमि का दानपत्र कलावती द्वारा पुरूषोत्तम के पक्ष में नहीं किया गया है। ना ही दानपत्र स्वीकारोक्ति के कोई हस्ताक्षर पुरूषोत्तम लाल के है इसलिये दान पत्र कानूनन बैध नहीं है।जिसके आधार पर विवादित भूमि बाबत पुरूषोत्तम व वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वह उक्त दानपत्र के आधार पर उत्तराधिकारी है। वगैर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किये उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। दावा इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। रामजीलाल ने फर्जी वसीयत ... सरासर असत्य व झूठा कथन है। वसीयत सही की गई थी जिसके आधार पर रामजीलाल बनाम केदार दावा पेश किया गया जो विधि अनुसार डिक्री हुआ था। जिसकी असत्य कथनों के आधार पर डिक्री कैन्सिलेशन का दावा पुरूषोत्तम बनाम रामजीलाल वादीगण के पिता ने पेश किया गया। जिसमें से गवाह मुरारी के कंन्सर हो जाने के कारण वह मृत्यु सैंया पर था। जिसकी हालत बयान देते समय दुरूस्त नहीं थी। उसके द्वारा गोत्रों बाबत कथन गलत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.04.22 14:
Reason: SelfAttested

देने के आधार पर विश्वसनीय नहीं मना एवं गवाह महेन्द्र को पुरुषोत्तम के दबाव बनाकर तोड लिया जो अपने पिता के हस्ताक्षरों से झूठा मना करता है अन्य गवाहान के आयु के आधार पर दरकिनार कर फैसला बसीयत के बिन्दु पर खिलाफ प्रार्थी दिया गया तथा बस स्टैण्ड के समीप की भूमि बाबत डिक्री प्रदान नहीं की गई उक्त फैसला पारिवारिक न्यायाधीश करौल के निर्णय के विरूद्व अपील प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। जरिये स्थगन आदेश वादीगण को रहन वय ना करने व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति की स्थिति यथावत बनाये रखने को पाबंद किया हुआ है मासलपुर की विवादित जायदाद खसरा नंबर 1003 बाबत निर्णय पारिवारिक न्यायालय से हो चुका है जिस पर वादीगण के पिता का कोई अधिकार व कब्जा नहीं माना। इसलिये पुनः उसी जायदाद के बाबत यह दावा ओर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के तहत वर्जित है। दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। पारिवारिक न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2022 की अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रतिवादी द्वारा पेश कर दी है जो कि विचाराधीन है इसलिये दौराने अपील नानान्तरकरण तस्दीक होने से कोई अधिकारी वादीगा को प्राप्त नहीं होते है। पक्षकारान के मध्य मामला उच्च न्यायालय में सब ज्यूडिस है। उक्त निर्णय अंतिम नही है। इस नियम के आधार पर वादी को कोई अधिकार मासलपुर को जायदाद में उदभूत नहीं होते है। दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण का यह कथन कि विवादित नंबरान की जानकारी नहीं हुई थी। इसलिये पारिवारिक न्यायालय द्वारा उक्त नंबरान बाबत पृथक से कार्यवाही करने की स्वतंत्र रखा गया। सरासर असत्य व मिथ्या कथन कर्ज कराया है बल्कि निर्णय के मद नंबर 58 में स्पष्ट वर्णित किया है कि मासलपुर की जायदाद के बारे में कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है ना यह किसी प्रकार की सहायता मासलपुर की जायदाद के संबंध में वादीगण प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार मासलपुर की जायदाद बाबत अंतिम फैसला पारिवारित न्यायाधीश करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.22 में पारित किया जा चुका है। जिसकी कोई अपील वादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है। [illegible] के विरूद्व वसीयत कॅसिलेशन बाबत डिक्री की अपली जा [illegible] है जो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। उक्त निर्णय के विरूद्व अभिवचन असत्य वादी ने दर्जकराये है। जो चलने योग्य नही है। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के तहत दावा पूर्व निर्णित पक्षकारान के मध्य होने के कारण चलने योग्य नहीं है दावा खारिज होने योग्य है। प्रमाण में निर्णय की प्रति संलग्न है। मठ पर रामजीलाल का कब्जा 40–50 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। जिस पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.22 14:5
Reason: SelfAttested

बनी मकानियत दुकानात उसके निजी लागत से निर्मित है इस मठ पर गुंसाईयों ने विवाद जिनसे न्यायालय मुन्सिफ, एडीजे में रामजीलाल ने मुकदमा लडे अब अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। खसरा नंबर 1003–1001–1002 के मध्य में होकर कल्याण सिंह गुर्जर ने के झूठा दावा अपनी आंराजी में जाने बाबत बताकर न्यायालय मुन्सिफी करौली में पेश किया जा अन्तरित होकर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करौली में किया गया। जिसे मुझे प्रार्थी ने लडा दावा खारिज कराया व टी.आई मंजूर होने पर एडीजे में अपील कर उसे खारिज कराया गया। यदि भूमि वादीगण की होती तो दावे गुसाई गिरी लोग व कल्याणसिंह गुर्जर इनके उपर करते। लेकिन यह जानते थे कि आवासीय भूमि रामजीलाल की मिलकियत व कब्जा व अधिकार की है इसलिये मुझे प्रतिवादी के विरूद्व दायर किये गये दावा वादीगण कतई मिथ्या आधारों पर संस्थित किया है। दिनांक 15.1.2005 को कोई बातचीत पक्षकारान के मध्य नहीं हुई। विवादित जायदाद खसरा नंबर 100–1002–1003 पर स्थित जायदाद से वादीगण बेदखल कराने के कानूनन अधिकारी नहीं दावा व दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा हर हाल में खारिज होने योग्य है। वादीगण ने संपूर्ण वाद पत्र में यह दर्ज नहीं किया है कि विवादित जायदाद बाबत जानकारी उन्हें किस प्रकार किस के माध्यम से हुई बल्कि वादी जायदाद किस किस स्थान पर स्थित है। उसकी क्या स्थिति है नहीं बता सकता ना चारों ओर कौन–कौन व्यक्तियों की कृषि भूमि या अकृषि भूमि स्थित है। किस व्यक्ति का क्या निर्माण है दायरी दावा के अंदर 12 वर्ष कभी भी कब्जा किसी प्रकार का वादी का नहीं रहा है। अंदर 12 वर्ष वर्ष काबिज नहीं होने के कारण धारा 63 आर टी एक्ट के तहत वादीगण के यदि कोई अधिकार है तो भी बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ समाप्त हो चुका है। और विगत 40–50 सालों से वादीगण की जानकारी में कब्जा मुखालफाना चले आने के कारण प्रतिवादी को मिलकियत अधिकार उत्पन्न हो चुके है। दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। दावा वापिसी प्राप्त बाबत मियाद दायरी दावे सेपूर्व 12 वर्ष कब्जा वादीगण व उसके पिता पुरूषोत्तम लाल काना होने के कारण मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

Signature Not Ve
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.22 14:
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया वादीगण वादपत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजीयात बाबत स्वंय के हक में बतौर उत्तराधिकारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

––वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादी से दखल पाने के अधिकारी है।

—वादीगण

3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है।

—वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी में आबादी व दुकानात बने होने के कारण राजस्व न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

—प्रतिवादीगण

5. आया दावा वादीगण म्याद बहार प्रस्तुत किया गया है।

—प्रतिवादीगण

6. अनुतोष।

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य में वादी श्रीकृष्ण ने अपना बयान शपथ पत्र दिनांक 12.8.2025 को पत्रावली में प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद वादी जिरह के लिये उपस्थित नहीं आने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण ने भी प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 9.10.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 1087 रकबा 5 बिस्वा, 1003 रकबा 5 बिस्वा, 1035 रकबा 04 बिस्वा, 1036 रकबा 01 बिस्वा व खसरा नंबर 1039 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 16 बिस्वा भूमि वांके ग्राम मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जो वादीगण के पूर्वज लौहरे पुत्र सुन्दर ब्राहम्ण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। लौहरे की मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 25.05.1973 को संपूर्ण खाता उनकी पत्नि कलावती के नाम खोला गया और बाद नामान्तरकरण से कलावती ही संपूर्ण भूमि की खातेदार काश्तकार रही। सत्यप्रति नामान्तकरण सख्या 26 दिनांक 25.05.1973 वादपत्र के साथ पेश है। लौहरे पुत्र सुन्दरलाल बरखेरिया उपाध्याय गौत्र के थे जिनका पारिवारिक सजरा वादपत्र के मद नंबर 3 मे दर्ज है। लौहरे की पत्नि कलावती निःसंतान थी जिसकी मृत्यु मिति जेठ सुदी दौज संवत 2047 को हुई। वादीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not V
Digitally signed by P
Date: 2026.04.22 14
Reason: SelfAttest

द्वारा ही लौहरे व कलावती के अंतिम संस्कार व अन्य मृत्युभोज, पिण्डदान इत्यादि संस्कार किये गये। मृत्यु से पूर्व कलावती वादीगण के पिता के साथ ही अपनी वृद्धावस्था के समय करौली में रही और उन्हीं के द्वारा ही कलावती की सेवा सुश्रुषा की गई और वादीगण के पिता की सेवा सुश्रुषा से ही प्रसन्न होकर कलावती द्वारा अपनी 70 वर्ष की उम्र में पूर्ण होश हवास में स्वेच्छापूर्वक दिनांक 30.03.1981 को पंजीकृत दानपत्र तस्दीक कराकर अपनी जायदाद का मालिक काबिज वादगण के पिता को बना दिया। इस प्रकार वादीगण ही एकमात्र मृतक लौहरे व कलावती के उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी रामजीलाल का हम वादीगण के परिवार अथवा लौहरे कलावती से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है और ना ही सगौत्र है। मासलपुर में लौहरे व कलावती के नाम की जायदाद व कृषि भूमियों को हडपने की नीयत से रामजीलाल द्वारा लावती के नाम से एक फर्जी वसीयनामा दिनांक कार्तिक बुदी पून्यों सन 1980 से पूर्व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जिसमें कलावती की मृत्यु वर्ष 1985 से पूर्व फर्जी काल्पनिक मृत्यु तिथि दर्शायी गयी। इसके पश्चात प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा उक्त फर्जी वीसयनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर स्वंय की कलावती का उत्तराधिकारी घोषित किये जाने हेतु एक सिविल वाद मिलीभगत करके अपने भाईयों केदार, पूरन व मुरारीलाल के विरूद्व जिला न्यायाधीश करौली के न्यायालय में पेश किया जो बाद अन्तरण अतिरिक्त सत्र व जिला न्यायाधीश करौली में चला, जिसमें राजीनामा के जरिये दिनांक 10.04.2014 को मुकदमा नंबर 23/2014 के अनुसरण में प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा मृतक कलावती की विवादित अराजीयात को स्वंय के नाम बतौर खातेदारी जरिये नामांतकरण संख्या 782 दिनांक 14.03.2015 को करा ली। प्रमाण में जमाबंदी संवत 2068–2071 वादपत्र के साथ पेश है। मृतक लौहरे व कलावती की उक्त विवादित आराजीयात के इन्द्राज बदले जाने की वादीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व में अन्य खसरा नंबर 1554 लगायत 1556, 1558, 1559 स्थित ग्राम छेंड का पुरा के काश्तकरों से जानकारी मिली कि प्रतिवादी रामजीलाल कलावती के नाम की जमीनों को हडपने की कार्यवाही कर रहा है। वर्ष 2015 में रामजीलाल द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त एकतरफा डिक्री की जानकारी उसके वादपत्र की नकल प्राप्त होने के पश्चात हुई। तत्पश्चात वादीगण के पिता पुरूषोत्तम लाल जी के द्वारा उक्त फर्जी तरीके से मिलीभगत करके व न्यायालय को धोखा देकर प्राप्त की गई डिक्री को निरस्त कराने हेतु एक सिविल वाद जिला न्यायाधीश करौली में पेश किया जो पारिवारिक न्यायालय करौली में अन्तरिक होकर मुकदमा नंबर 07/2018

Signature Not Ve
Digitally signed by P
Date: 2026.04.22 14
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

(04/2016, 01/2016) दिनांक 20.10.22 को स्वीकार किया जाकर पूर्व निर्णय व डिक्री मुकदमा नबर 23/2014 दिनांक 10.04.2014 उनवानी रामजीलाल बनाम केदार वगै0 फर्जीयत से प्राप्त फैसला होने के कारा खारिज फरमा दिया गया और वसीयतनामा भी फर्जी होना पाया गया तथा वादीगण को ही मृतक कलावती का उत्तराधिकारी घोषित किया गया जिसके आधार खरा नंबर 1556 से 1558 व 1559 स्थित ग्राम छेंड का पुरा की कृषि आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई। वादीगण को पूर्व में विवादित खसरा नंबर की जानकारी नहीं थी। निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2022 के पश्चात जानकारी हुई तो पारिवारिक न्यायालय द्वारा उक्त नंबरान बाबत पृथक से कार्यवाही करने को वादीगण को स्वतंत्र रखा गया। तत्पश्चात वादीगण को उक्त प्रकरण के विवादित खसरा नंबर की जानकारी नकलें प्राप्त होने पर दिनांक 7.1.2025 को हुई। प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा बदयान्तिपूर्वक फर्जी डिक्री के आधार पर मृतक कलावती की विवादित आराजीयात को स्वंय के नाम करा लिया और जबरन खसरा नंबर 1003 में बने मठ पर उक्त फर्जी इन्द्राजात के आधार पर कब्जा कर स्वंय का निवास बना लिया है तथा जबरन अन्य लोगों को भी अनावश्यक मालिक दर्शाकर काबिज करा रहा है। प्रतिवादी का उद्देश्य वादीगण की आराजीयात को खुर्द–बुर्द कर दीगर व्यक्तियों को बेचान करने का है। दिनांक 15.04.2025 को वादी श्रीकृष्ण द्वारा मासलपुर पहुंचकर रामजीलाल से मठ को खाली करने एवं आराजीयात को तहसील कार्यालय चलकर वादीगण के नाम दुरूस्त कराने की कहा तो वह झगडा करने पर उतारू हो गया और मां–बहिन की फौज गालियां देने लग गया और ऐलानियां कहा कि अब तो जमीनें मेरे नाम है मैं तो इन्हें दीगर लोगों को बेचान करूंगा तुमसे जो हो कर लेना। प्रतिवादी का उक्त कृत्य पूर्णतया न्यायालय के निर्णय की नाफरमानी है। इसी कारण वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण मृतक कलावती की वादपत्र के मद नंबर 1 में दर्ज कृषि आराजीयात के इन्द्राजात स्वंय के नाम बतौर उत्तराधिकारी घोषित होते हुये दर्ज कराने के अधिकारिणी है तथा साथ ही प्रतिवादी रामजीलाल को विवादित आराजीयात व उसमें बने मठ से बेदखल कराने के अधिकारी है तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से भी इसी आशय से पाबंद कराने के अधिकारी है। दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबरान ग्राम मासलपर में स्थित होना सही है। भूमि कृषि भूमि ना होकर अकृषि कार्य की है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य में आ रही है। मद नंबर 1 मे दर्ज भूमि में कभी भी

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.04.22 14:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कोई कब्जाकश्त लीतरे ब्राह्मण व उसकी पत्नी का रहा है। बल्कि खसरा नंबर 1000 में मठ, पाटौर, मंदिर, तिवारा, समाधि बनी हुई है। खसरा नंबर 1003 में विधिवत रूप से ग्राम पंचायत से मंजूरी लेकर वर्ष 2000 में पुख्ता 12 दुकाने प्रतिवादी जबाबदार ने स्वंय की लाखों रूपयों में निजि लागत लगा कर निर्माण कराया गया है। यह दुकाने मासलपुर बस स्टैण्ड पर स्थित है। जिसमें मुझ प्रतिवादी को ओर से किरायेदार करोबार कर रहे है। उक्त दुकानों से लगी अन्य दुकानात के उपर दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में प्रार्थी जाववदार रिहायश 40–50 वर्षों से करता चला आ रहा है और काबिज है। मठ में स्थित हनुमानजी कालीदेवा की सेवा पूजा करता चला आ रहा है। पाटौर पोश मकानियत में मवेशी गाये बंधती है। बस स्टैण्ड व दुकानों के मध्य खाली भूमि में सफीक खान, चीकू तमोली, गबरू खान रूस्तम खान उर्फ कालू सब्जी वाले के खोखा व ठेला लगाने के किराये पर दी गई है। सलीम खान के टायर पिंचर का काम करता है। गबरू खान किराना चना मूंगफली गुड इत्यादि व रूस्तम फूल विक्रय का काम करता है। खसरा नंबर 1003 के वादिशा उत्तर खसरा नंबर 1001–1002 स्थित है। जिसमें रिहायश प्रतिवादी पाटौरपोश बनी हुई है। विवादित भूमि खसरा नंबर 1035–103–1039 तीनों नंबरान में दुकानें दीगर व्यक्तियो की बनी हुई है उक्त तीनों खसरा नंबर से मुझ प्रतिवादी का कोई लेना–देना व सरोकार नहीं है। यह दुकाने तमोलियों की बनी हुई है। जिन्हें पक्षकार बनाये वगै0 दावा वादी चलने योग्य नहीं है। आराजी खसरा नंबर 1087 पर ग्राम रौहर के मीना लोगों का कब्जा चला आ रहा है। इस नंबर से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है। जिसमें मीनाओं ने 40x30 फीट के प्लांट में मकान निर्माण करा रखा है तथा यह लोग काबिज है। जिन्हें पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। खसरा नंबर 1039 में धर्मशाला व 3 दुकानें बनी हुई है। जिनमें से एक दुकान में प्याउ संचालित हो रही है। जिसमें मुझ प्रतिवादी का कोई ताल्लुक व सरोकार नहीं है तथा आबादी के मध्य में स्थित है चारों ओर विवादित भूमि के आबादी बनी हुई है। जो अकृषि प्रयोजनार्थ 40–50 सालों से काम में आती चली आ रही है। जिसे राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता के कारण गैर मुमकिन आबादी में दर्ज नहीं किया गया है। वादी को विवादित भूमि का कोई भौतिक रूप से ज्ञान नहीं होना यह जमीन उसने कभी देखी है राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वगैर दीगर लोगों के कब्जे की जानकारी किये मुझ प्रतिवादी के विरूद्व दावा व दर0 अस्थायी निषेधाज्ञा असत्य कथनों पर संस्थत को है। वादी को यह तक ज्ञान नहीं है कि कौन सा खसरा नंबर किस दिशा में किधर स्थित है उसके चारों और किन कि के मकानात व

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.04.22 14
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दुकानात है। दावा वादी भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ विगत 40-50 वर्षों से काम में आने के कारण दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है और इसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का विवादित भूमि ना तो मिलकियत व खातेदारी की है ना ही कब्जा की ना उन्हें दावा पेश करने का अधिकार ही है। सजरा कतई गलत अंकित व अपूर्ण सजरा पेश किया गया है। बृजमोहनलाल के पांच पुत्र भंवरलाल, घनश्यामा, राधेश्याम, मुरारी व पिता वादीगण पुरूषोत्तम लाल थे अन्य चार व्यक्तियों को सजरा में नहीं दर्शाया गया है जो आवश्यक फरीक मुकदमा है उन्हें वगैर पक्षकार बनाये दावा वादी चलने योग्य नहीं है। इसी बिना पर दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वादी बरखेरिया उपाध्याय है उसे साक्ष्य द्वारा साबित करना है। दान पत्र दिनांक 30.03.1981 करौली स्थित मकानियत का है जिसमें माकनियत करौली के अलावा अन्य जायदाद का कोई अंकर नहीं है। मासलपुर की जायदाद कृषि व अकृषि भूमि किसी भी भूमि का दानपत्र कलावती द्वारा पुरूषोत्तम के पक्ष में नही किया गया है। ना ही दानपत्र स्वीकारोक्ति के कोई हस्ताक्षर पुरूषोत्तम लाल के है इसलिये दान पत्र कानूनन बैध नहीं है।जिसके आधार पर विवादित भूमि बाबत पुरूषोत्तम व वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है वह उक्त दानपत्र के आधार पर उत्तराधिकारी है। वगैर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किये उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। दावा इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। रामजीलाल ने फर्जी वसीयत तैयार करा ली, सरासर असत्य व झूठा कथन है। वसीयत सही की गई थी। जिसमें आधार पर रामजीलाल बनाम केदार दावा पेश किया गया जो विधि अनुसार डिक्री हुआ था। जिसकी असत्य कथनों के आधार पर डिक्री कैन्सिलेशन का दावा पुरूषोत्तम बनाम रामजीलाल वादीगण के पिता ने पेश किया गया। जिसमें से गवाह मुरारी के कैन्सर हो जाने के कारण वह मृत्यु सैंया पर था। जिसकी हालत बयान देते समय दुरूस्त नहीं थी। उसके द्वारा गोत्रों बाबत कथन गलत देने के आधार पर विश्वसनीय नहीं मना एवं गवाह महेन्द्र को पुरूषोत्तम के दबाव बनाकर तोड लिया जो अपने पिता के हस्ताक्षरों से झूठा मना व [illegible] अन्य गवाहान के आयु के आधार पर दरकिनार कर फैसला [illegible] पर खिलाफ प्रार्थी दिया गया तथा बस स्टैण्ड के समीप की भूमि बाबत डिक्री प्रदान नहीं की गई उक्त फैसला पारिवारिक न्यायाधीश करौल के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। जरिये स्थगन आदेश वादीगण को रहन बय ना करने व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति की स्थिति यथावत बनाये रखने को पाबंद किया हुआ है मासलपुर की

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.04.22 14:50:20
Reason: SelfAttested

विवादित जायदाद खसरा नंबर 1003 बाबत निर्णय पारिवारिक न्यायालय से हो चुका है जिस पर वादीगण के पिता का कोई अधिकार व कब्जा नहीं माना। इसलिये पुनः उसी जायदाद के बाबत यह दावा ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के तहत वर्जित है। दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। पारिवारिक न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2022 की अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे प्रतिवादी द्वारा पेश कर दी है जो कि विचाराधीन है इसलिये दौराने अपील नानान्तरकरण तस्दीक होने से कोई अधिकारी वादीगा को प्राप्त नहीं होते है। पक्षकारान के मध्य मामला उच्च न्यायालय में सब ज्यूडिस है। उक्त निर्णय अंतिम नही है। इस नियम के आधार पर वादी को कोई अधिकार मासलपुर को जायदाद में उदभूत नहीं होते है। दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण का यह कथन कि विवादित नंबरान की जानकारी नहीं हुई थी। इसलिये पारिवारिक न्यायालय द्वारा उक्त नंबरान बाबत पृथक से कार्यवाही करने की स्वतंत्र रखा गया। सरासर असत्य व मिथ्या कथन कर्ज कराया है बल्कि निर्णय के मद नंबर 58 में स्पष्ट वर्णित किया है कि मासलपुर की जायदाद के बारे में कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है ना यह किसी प्रकार की सहायता मासलपुर की जायदाद के संबंध में वादीगण प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार मासलपुर की जायदाद बाबत अंतिम फैसला पारिवारित न्यायाधीश करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.22 में पारित किया जा चुका है। जिसकी कोई अपील वादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है। जबकि प्रतिवादी के विरूद्ध वसीयत कंसिलेशन बाबत डिक्री की अपली जा चुकी है जो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। उक्त निर्णय के विरूद्व अभिवचन असत्य वादी ने दर्जकराये है। जो चलने योग्य नही है। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के तहत दावा पूर्व निर्णित पक्षकारान के मध्य होने के कारण चलने योग्य नहीं है दावा खारिज होने योग्य है। प्रमाण में निर्णय की प्रति संलग्न है। मठ पर रामजीलाल का कब्जा 40–50 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। जिस पर बनी मकानियत दुकानात उसके निजी लागत से निर्मित है इस मठ [illegible] गुंसाईयों ने विवाद जिनसे न्यायालय मुन्सिफ, एडीजे में [illegible] लडे अब अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। खसरा नंबर 1003–1001–1002 के मध्य में होकर कल्याण सिंह गुर्जर ने के झूठा दावा अपनी आराजी में जाने बाबत बताकर न्यायालय मुन्सिफी करौली में पेश किया जा अन्तरित होकर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करौली में किया गया। जिसे मुझे प्रार्थी ने लडा दावा खारिज कराया व टी.आई मंजूर होने पर एडीजे में अपील कर उसे खारिज कराया गया। यदि भूमि वादीगण की होती तो दावे गुसाई

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.22 14:50:
Reason: SelfAttested

गिरी लोग व कल्याणसिंह गुर्जर इनके उपर करते। लेकिन यह जानते थे कि आवासीय भूमि रामजीलाल की मिलकियत व कब्जा व अधिकार की है इसलिये मुझे प्रतिवादी के विरूद्ध दायर किये गये दावा वादीगण कतई मिथ्या आधारों पर संस्थित किया है। दिनांक 15.1.2005 को कोई बातचीत पक्षकारान के मध्य नहीं हुई। विवादित जायदाद खसरा नंबर 100–1002–1003 पर स्थित जायदाद से वादीगण बेदखल कराने के कानूनन अधिकारी नहीं दावा व दर० अस्थाई निषेधाज्ञा हर हाल में खारिज होने योग्य है। वादीगण ने संपूर्ण वाद पत्र में यह दर्ज नही किया है कि विवादित जायदाद बाबत जानकारी उन्हें किस प्रकार किस के माध्यम से हुई बल्कि वादी जायदाद किस किस स्थान पर स्थित है। उसकी क्या स्थिति हैं नहीं बता सकता ना चारों ओर कौन–कौन व्यक्तियों की कृषि भूमि या अकृषि भूमि स्थित है। किस व्यक्ति का क्या निर्माण है दायरी दावा के अंदर 12 वर्ष कभी भी कब्जा किसी प्रकार का वादी का नहीं रहा है। अंदर 12 वर्ष वर्ष काबिज नहीं होने के कारण धारा 63 आर टी एक्ट के तहत वादीगण के यदि कोई अधिकार है तो भी बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ समाप्त हो चुका है। और विगत 40–50 सालों से वादीगण की जानकारी में कब्जा मुखालफाना चले आने के कारण प्रतिवादी को मिलकियत अधिकार उत्पन्न हो चुके है। दावा मियाद बाहर होने के कारण खारिज होने योग्य है। दावा वापिसी प्राप्त बाबत मियाद दायरी दावे सेपूर्व 12 वर्ष कब्जा वादीगण व उसके पिता पुरूषोत्तम लाल काना होने के कारण मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। इसलिए प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना संभव नहीं है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौखिक लेखबद्व नहीं कराई है एवं प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वादीगण दावा हाजा के तहत प्रतिवादीगण विरूद्ध किसी प्रकार की दादरसी प्रतिवादीगण के विरूद्व पाने के हकदार नहीं है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.22 14:50
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25/11/15 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:– 6 / 25 तारीख रजु:– 13.2.25

उनवान

1. श्रीकृष्ण उपाध्याय पुत्र स्व. पुरूषोत्तम लाल शर्मा उम्र 48 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी डॉ0 सी.के. शर्मा नर्सिंग होम के सामने, गुलाब बाग करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमति राकेश शर्मा पुत्री स्व0 पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि श्री नन्दलाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी पी.एन. 73 खातीपुरा परिवहन नगर जयपुर
3. सीमा उर्फ कमलेश पुत्री स्व0 श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा पत्नि दीनदयाल शर्मा उम्र 51 वर्ष हाल निवासी सुलक्षणा पब्लिक स्कूल के सामने, हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र गेंदालाल उम्र 74 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली

–प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर टी एक्ट</u>

<u>में प्रार्थना पत्र धारा 114 सपठित धारा 151 सीपीसी</u>

–::आदेश::– दिनांक:– 25/11/25

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.22 14:50
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को न्यायालय हाजा द्वारा धारा 151 सीपीसी प्रार्थीगण वाद सुनवाई बिना कोई कारण प्रस्तुत किये खारिज फरमा दी गई है। जिसके संबंध में यह पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दिनांक 12.08.2025 को तनकी कायम होने के दिवस प्रार्थी श्रीकृष्ण द्वारा अपने बयान हेतु शपथ–पत्र दिया गया। तत्पश्चात् वास्ते जिरह हेतु पेशीया प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा ली गई। किन्तु सहवन न्यायालय आदेशिका पर गवाह की हाजिरी दर्ज नहीं की गई और तारीख पेशी दिनांक 29.08.2025 को राजकार्य कार्य में व्यस्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

होने के कारण बढाई गई। तत्पश्चात दिनांक 4.9.2025 को बिना कोई कारण दर्ज किये साक्ष्य वादी बंद की गई। दावा घोषणा व दखल से संबंधित है। जिसमें प्रार्थी अपनी सहादत पेश करना चाहता है। दिनांक 06.11.2025 का आदेश पुनर्विलोकन होने योग्य है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 28.10.2025 को वादी प्रार्थी द्वारा धारा 151 सीपीसी का पेश किया था। जो वाद जबावदेही उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 6.11.2025 को सही खारिज किया गया है। अब यह आवेदन पुनः उन्ही तथ्यों पर पेश किया गया है। जो पुनर्विलोकन की परिधि में नहीं आता है। दिनांक 6.11.2025 से प्रार्थी वादी व्यथित समझता है तो उसे अपीलीय न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। न्यायालय हाजा को पुनः यह प्रार्थना–पत्र सुनवाई का अधिकार नहीं है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 6.11.2025 निगरानी काबिल है। जिसकी कोई निगरानी या अपील प्रार्थी वादी द्वारा सक्षमें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए आदेश दिनांक 6.11.2025 को विधि अनुसार पुनर्विलोकन के द्वारा निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी वादी तत्यहीन या सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी वादी धारा 114 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem P
Date: 2026.04.22 14:50:2
Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी
करौली (राज.)